

l f'pdkLr l f'pdkvkah dh l pph&2015

vDVcj &2015

f'k{kk foHkkx

de l 0	l f'pdk l a'; k	fo"k;	l f'pdkLr dh frffk	vfire vkns'k
1.	01 / लोक(शिक्षा)05 / 2013	रा.म.वि. बाघा लोहरदगा के अध्यक्ष, संयोजिका, और प्राचार्य तथा विभागीय अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप के संबंध में भैया सुरेन्द्र नाथ शाह, लोहरदगा का परिवाद ।	28.10.2015	उपायुक्त लोहरदगा से प्राप्त प्रतिवेदन तथा आरोपित लोकसेवक से प्राप्त स्पष्टीकरण से लगाये गये आरोपो की पुष्टी नहीं होती है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।

ou foHkkx

de l 0	l f'pdk l a'; k	fo"k;	l f'pdkLr dh frffk	vfire vkns'k
1.	02 / लोक(वन)07 / 2014	भविष्यनिधि भुगतान करने के संबंध में श्री रामजी सिंह, गोपालगंज, बिहरा का परिवाद ।	27.10.2015	परिवादी द्वारा माननीय लोकायुक्त के समक्ष उपस्थित हो कर परिवाद वापसी की याजना की गई जिसे स्वीकार करते हुए परिवाद को बंद कर दिया गया ।

y?kq fl pkbZ foHkkx

de l 0	l f'pdk l a'; k	fo"k;	l f'pdkLr dh frffk	vfire vkns'k
1.	02 / लोक(ल.सिं.)04 / 2014	स्वीकृत योजा का निर्माण कार्य अन्यत्र करवा कर फर्जी तरिके से राशि निकाल लिये जाने के संबंध में श्री अनुग्रह नरायण सिंह चतरा का परिवाद ।	26.10.2015	परिवाद पत्र, जांच प्रतिवेदन तथा कारण पृच्छा के उत्तर तथा दोनो पार्टियों को सुनने के बाद फर्जी तरिके से राशि निकाल लिये जाने का परिवादी का आरोप सही

				नहीं पाया गया। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
--	--	--	--	---

xkeh.k fodkl foHkkx

de l 0	l fpdk l q; k	fo"k;	l fpdkLr dh frffk	vfire vkn's k
1.	01/लोक(ग्रा.वि.)03/14	लोहरदगा जिला के किस्को प्रखण्ड में पुलिया निर्माण कर सरकारी राशि का दुरुपयोग करने के संबंध में मोईज खान का परिवाद ।	27.10.2015	परिवाद पत्र, जांच प्रतिवेदन तथा कारण पृच्छा के उत्तर से सरकारी राशि का दुरुपयोग करने के संबंध में परिवादी का आरोप सही नहीं पाया गया। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(ग्रा.वि.वि.)23/12	सेवान्त लाभ के संबंध में श्री लखन भूमिज का शिकायत ।	06.10.2015	परिवाद पत्र, जांच प्रतिवेदन, मंतव्य तथा सुनवाई के पश्चात यह फलाफल निकला कि परिवादी के मुख्य वाद का निराकरण हो गया है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा संचिकास्त कर दिया गया ।

f'kdk; r

1.	शिकायत सं. 383/14	दाखिल खारिज के लिए के जाने पर छेड़खानी के प्रयास करने के संबंध में सबिता देवी , पलामू का शिकायत ।	14.10.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने तथा कार्यालय के पत्र शिकायतकर्ता का पता अपूर्ण वापस आ जाने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
----	-------------------	---	------------	---

2.	शिकायत सं. 332/2014	गोचर भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाने के संबंध में रफीक मियां सारवां देवघर का शिकायत ।	14.10.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने तथा कार्यालय के पत्र शिकायतकर्ता का पता अपूर्ण वापस आ जाने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
3.	शिकायत सं 42/2015	स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान नहीं होने के संबंध में तहसीलदारी अंसारी हजारीबाग का पिरिवाद ।	14.10.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने तथा कार्यालय के पत्र शिकायतकर्ता का पता अपूर्ण वापस आ जाने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
4.	शिकायत सं. 412/14	शैचालय निर्माण में गड़बड़ी के संबंध में मो0 जहीर खान गुमला का परिवाद ।	01.10.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने तथा कार्यालय के पत्र शिकायतकर्ता का पता अपूर्ण वापस आ जाने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
5.	शिकायत सं.348/2015	जल सहिया सह कोषाध्यक्ष का चयन नियम विरुद्ध गलत तरिके से करने के संबंध में श्रीमती सोनी कुमारी, गिरिडीह का परिवाद ।	27.10.2015	शिकायत चयन प्रक्रिया से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत नहीं आता है । अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
6.	शिकायत सं0 384/2015	श्री संतोष कुमार कनीय अभियंता पदमा का स्थानान्तरण के संबंध में श्री गोबिन्द प्रसाद मेहता, पदमा का शिकायत ।	27.10.2015	शिकायत वाद में स्थानान्तरण से संबंधित विषय को उठाया गया जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
7.	शिकायत सं. 380/2015	परिवादी श्री आर.पी. तिवारी को UCP लाभ दिये जाने में DVC द्वारा अनियमितता बरतने के संबंध में ।	27.10.2015	DVC भारत सरकार का लोक उपक्रम संस्थान है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत नहीं आता है। अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
8.	शिकायत सं. 391/2015	टाटानगर के RPF थाना प्रभारी के विरुद्ध मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में श्री उमा शंकर	27.10.2015	शिकायत पत्र से स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा सनहा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है तथा केस सक्षम

		जमशेदपुर का शिकायत ।		न्यायालय में लंबित है। अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
--	--	----------------------	--	--